

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: एफ.2(ग)()जयपुर/अलेस-1/2018 / 576

दिनांक 15/11/19

आदेश

विभाग के आदेश संख्या एफ.2(ग)()जयपुर/अलेस-1/2018 / 889 दिनांक 04.01.2019 के द्वारा क्रम संख्या 23 पर अंकित श्री आनन्द कुमार कालानी, सलेअ-1 (लिंक नम्बर 3175) को प्री. 2016 के पेन्शनर्स एवं पारिवारिक पेन्शन में संशोधन हेतु पेन्शन संशोधन दल में कोषालय (पेन्शन) जयपुर में लगाये जाने वाले आदेश को एतद् द्वारा तुरन्त प्रभाव से निरस्त करते हुये निर्देश दिये जाते हैं कि विभाग के आदेश संख्या 482/2019-20 दिनांक 18.09.2019 के द्वारा किये गये स्थानान्तरण की पालना में पुलिस आयुक्तालय जयपुर में सलेअ-1 के रिक्त पद पर कार्यग्रहण कर सूचना अविलम्ब इस विभाग को भिजवावें।

(मुकुन्द सोहोनी)

निदेशक

दिनांक 15/11/19

क्रमांक: एफ.2(ग)()जयपुर/अलेस-1/2018 / 576
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा/पेन्शन) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक, पेन्शन एवं पेन्शनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक, पेन्शन एवं पेन्शनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय
5. संयुक्त निदेशक (कोष) कार्यालय हाजा।
6. कोषाधिकारी (पेन्शन) जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु
7. महाप्रबन्धक, राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति जनजाति विकास निगम जयपुर
8. पुलिस आयुक्त, जयपुर को भेजकर लेख है कि श्री आनन्द कुमार कालानी, सलेअ-1 के कार्यग्रहण की सूचना से इस विभाग को अवगत करावें।
9. श्री आनन्द कुमार कालानी, सलेअ-1 (सेकिण्डमेन्ट बेसिस पर कार्यरत) (कोषालय पेन्शन) जयपुर को भेज कर निर्देशित किया जाता है कि वे अविलम्ब पुलिस आयुक्त, जयपुर में कार्यग्रहण कर अवगत करावें।
10. उप निदेशक (एसीपी) को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
11. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय
12. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली

निदेशक